2019 का विधेयक संख्यांक 189

[दि कंपनी (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019

कंपनी अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) इस अधिनियम के उपबंध, धारा 6, धारा 7 और धारा 8, धारा 14 के खंड (i), खंड (iii) और खंड (iv), धारा 20 और धारा 21, धारा 31, धारा 33, धारा 34 और धारा 35, धारा 37 और धारा 38 के सिवाय, 2 नवम्बर, 2018 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

(3) धारा 6, धारा 7 और धारा 8, धारा 14 के खंड (i), खंड (iii) और खंड (iv), धारा 20, धारा 21, धारा 31, धारा 33, धारा 34 और धारा 35, धारा 37 और धारा 38 के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इन उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के किसी प्रति-निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति-निर्देश है ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (41) में,— 2013 का 18

(क) पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"परंतु यह कि जहां कोई कंपनी या निगमित निकाय, जो भारत के बाहर निगमित कंपनी की नियंत्री कंपनी या समनुषंगी कंपनी या सहयुक्त कंपनी है और उससे भारत से बाहर अपने लेखाओं के समेकन के लिए भिन्न वित्तीय वर्ष का अनुसरण करने की अपेक्षा की जाती है, वहां केन्द्रीय सरकार, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किए जाएं, उस कंपनी या निगमित निकाय द्वारा किए गए आवेदन पर, किसी भी अवधि को अपने वित्तीय वर्ष के रूप में, चाहे वह अवधि एक वर्ष की है या नहीं, अनुज्ञात कर सकेगी :

परंतु यह और कि कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारम्भ की तारीख को अधिकरण के समक्ष लंबित किसी आवेदन का ऐसे प्रारम्भ से पूर्व उसके लागू उपबंधों के अनुसार अधिकरण द्वारा निपटान किया जाएगा ।";

(ख) दूसरे परंतुक में "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर, "परंतु यह भी कि" शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 10क का अन्तःस्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कारबार, आदि का प्रारम्भ ।

"10क. (1) कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारम्भ के पश्चात् निगमित की गई कोई कंपनी और जिसके पास शेयर पूंजी है, कोई कारबार आरम्भ तब तक नहीं करेगी या किन्हीं उधार लेने की शक्तियों का प्रयोग तब तक नहीं करेगी,--

(क) जब तक किसी निदेशक द्वारा रजिस्ट्रार के पास कंपनी के निगमन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर ऐसे प्ररूप में घोषणा फाइल नहीं कर दी जाती है या ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसका सत्यापन नहीं कर दिया जाता है कि ज्ञापन के प्रत्येक अभिदाता ने ऐसी घोषणा करने की तारीख को उसके द्वारा लिए जाने के लिए करार पाए गए शेयरों के मूल्य का संदाय कर दिया है ; और

(ख) कंपनी ने धारा 12 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का सत्यापन रजिस्ट्रार के पास फाइल नहीं कर दिया है ।

(2) यदि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो कंपनी पचास हजार रुपए की शास्ति की दायी होगी और ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, एक हजार रुपए की शास्ति, किन्तु जो एक लाख रुपए से अनधिक की होगी, का दायी होगा।

(3) जहां कोई घोषणा कंपनी के निगमन की तारीख के एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन रजिस्ट्रार के पास फाइल नहीं की गई है और रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि

कंपनी कोई कारबार या संक्रियाएं नहीं कर रही है तो वह, उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अध्याय 18 के अधीन कंपनी रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाए जाने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर सकेगा ।"।

धारा 12 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(9) यदि रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कंपनी कोई कारबार या संक्रियाएं नहीं कर रही है तो वह कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का वास्तविक सत्यापन ऐसी रीति में करा सकेगा जो विहित की जाए और यदि उपधारा (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाना पाया जाता है तो वह उपधारा (8) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्याय 18 के अधीन कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी के नाम को हटाए जाने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर सकेगा ।"।

धारा 14 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 14 में,—

(i) उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि किसी पब्लिक कंपनी का किसी प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन का प्रभाव रखने वाला कोई परिवर्तन तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक यह किए गए आवेदन पर केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है :

परंतु यह भी कि कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारम्भ की तारीख को अधिकरण के समक्ष लंबित किसी आवेदन का ऐसे प्रारम्भ से पूर्व इसको लागू उपबंधों के अनुसार अधिकरण द्वारा निपटान किया जाएगा ।";

(ii) उपधारा (2) में, "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 26 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 26 में,—

(i) उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6) में, "रजिस्ट्रीकरण" शब्द के स्थान पर, "फाइल करने के लिए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (7) का लोप किया जाएगा ।

धारा 29 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ख) में, "पब्लिक" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) ऐसे वर्ग या वर्गों की असूचीबद्ध कंपनियां, जो विहित किए जाएं, के मामले में, प्रतिभूतियां, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए विनियमों में अधिकथित रीति में अभौतिक रूप में ही धारित या अंतरित की जाएंगी ।"

धारा 35 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ग) में, "रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रोस्पेक्टस की प्रति परिदत्त करने" शब्दों के स्थान पर, "रजिस्ट्रार के पास प्रोस्पेक्टस की प्रति फाइल करने" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 53 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) जहां कोई कंपनी इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहती है, वहां ऐसी कंपनी और प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो बट्टे पर शेयरों के निर्गमन के माध्यम से जुटाई गई रकम के समतुल्य रकम या पांच लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो, तक की हो सकेगी और कंपनी का ऐसे शेयरों के निर्गमन की तारीख से बारह प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित प्राप्त सभी धनराशियों का उन व्यक्तियों को, जिन्हें ऐसे शेयर जारी किए गए हैं, प्रतिदाय करने की भी दायी होगी ।"।

धारा 64 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) जहां कोई कंपनी उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहती है, वहां ऐसी कंपनी और प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, एक हजार रुपए या पांच लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो, की शास्ति का दायी होगा ।"।

धारा 77 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 77 की उपधारा (1) के पहले और दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु रजिस्ट्रार, किसी कंपनी द्वारा आवेदन किए जाने पर ऐसे रजिस्ट्रीकरण को किए जाने के लिए—

(क) कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारम्भ होने से पूर्व सृजित प्रभारों की दशा में, ऐसे सृजन से तीन सौ दिन की अवधि के भीतर ; या

(ख) कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारम्भ होने पर या उसके पश्चात् सृजित प्रभारों की दशा में, ऐसे सृजन से साठ दिन की अवधि के भीतर,

ऐसी अतिरिक्त फीस का, जो विहित की जाए, संदाय करने पर अनुज्ञात कर सकेगा :

परंतु यह और कि यदि रजिस्ट्रीकरण विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो—

(क) पहले परंतुक के खंड (क) में, प्रभार का रजिस्ट्रीकरण, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारम्भ होने की तारीख से छह मास के भीतर ऐसी अतिरिक्त फीस का, जो विहित की जाए, संदाय करने पर किया जाएगा और कंपनियों के विभिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न फीसें विहित की जा सकेंगी ;

(ख) पहले परंतुक के खंड (ख) में, रजिस्ट्रार, किसी आवेदन पर, ऐसे रजिस्ट्रीकरण को साठ दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर ऐसी मूल्यानुसार फीसें, जो विहित की जाएं, का संदाय करने के पश्चात् अनुज्ञात कर सकेगा ।"।

धारा 86 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 86 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक धारा 77 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित कोई मिथ्या या गलत सूचना प्रस्तुत करता है या जानबूझकर किसी तात्विक सूचना को छिपाता है तो वह धारा 447 के अधीन कार्रवाई किए जाने का दायी होगा ।"।

धारा 87 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
प्रभार रजिस्टर में केन्द्रीय सरकार द्वारा सुधार ।

13. मूल अधिनियम की धारा 87 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"87. केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि—

(क) इस अध्याय के अधीन अपेक्षित समय के भीतर रजिस्ट्रार को किसी प्रभार को संदाय या चुकाने की सूचना देने में चूक ; या

(ख) किसी ऐसे प्रभार या उसके उपांतरण या भुगतान के किसी ज्ञापन या धारा 82 या धारा 83 के अनुसरण में की गई अन्य प्रविष्टि के सम्बन्ध में, किसी विशिष्टि का लोप या मिथ्या कथन,

आकस्मिक था या अनवधानता या किसी अन्य पर्याप्त हेतुक के कारण था या ऐसी कंपनी के लेनदारों या शेयर धारकों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रकृति का नहीं है, इसे कंपनी द्वारा या किसी हितबद्ध अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो केन्द्रीय सरकार न्यायोचित और समीचीन समझे, निदेश दे सकेगी कि संदाय या भुगतान की ऐसी सूचना के दिए जाने के लिए समय का विस्तार किया जाएगा या जैसी मामले में अपेक्षा की जाए, ऐसे लोप या मिथ्या कथन का सुधार किया जाएगा ।"।

धारा 90 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 90 में,—

(i) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित जाएगी, अर्थात् :—

"(4क) प्रत्येक कंपनी, ऐसे व्यक्ति की पहचान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी जो कंपनी के संबंध में एक महत्वपूर्ण हितकारी स्वामी है और उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करे" ;

(ii) उपधारा (9) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(9) अधिकरण के आदेश से व्यवथित कंपनी या व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, उपधारा (8) के अधीन निर्बंधनों के शिथलीकरण या उन्हें हटाने के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेगी या कर सकेगा :

परंतु यदि ऐसा कोई आवेदन उपधारा (8) के अधीन आदेश की तारीख से

एक वर्ष की अवधि के भीतर फाइल नहीं किया गया है तो ऐसे शेयर, किसी निर्बंधन के बिना धारा 125 की उपधारा (5) के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, गठित प्राधिकरण को अंतरित कर दिए जाएंगे ।";

(iii) इस प्रकार प्रतिस्थापित उपधारा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(9क) केन्द्रीय सरकार इस धारा के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी ।";

(iv) उपधारा 11 में, "फाइल करने की अपेक्षा" शब्दों के पश्चात्, "या उपधारा 4क के अधीन आवश्यक कदम उठाने की अपेक्षा की जाती है" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 92 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 92 में, उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(5) यदि कोई कंपनी उपधारा (4) के अधीन अपनी वार्षिक विवरणी, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व, फाइल करने में असमर्थ रहती है तो ऐसी कंपनी और उसका प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, पचास हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा और जारी रहने वाली ऐसी असफलता की दशा में, ऐसे प्रत्येक पहले दिन के लिए, जिसके दौरान, ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम पांच लाख रुपए के अधीन रहते हुए एक सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति, का दायी होगा ।"।

धारा 102 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 102 में, उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(5) उपधारा (4) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि, इस उपधारा के उपबंधों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो कंपनी का प्रत्येक संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक या अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, जो व्यतिक्रमी है, पचास हजार रुपए की या संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक या अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उसके नातेदारों में से किसी भी नातेदार को उद्भूत होने वाले फायदे की रकम का पांच गुणा, जो भी अधिक हो, की शास्ति का दायी होगा ।"।

धारा 105 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 105 की उपधारा (3) में, "ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर,"पांच हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 117 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 117 में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(2) यदि कोई कंपनी उपधारा (1) के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व संकल्प या करार फाइल करने में असफल रहती है तो ऐसी कंपनी एक लाख रुपए की शास्ति और जारी रहने वाली असफलता की दशा में, पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम पच्चीस लाख रुपए के अधीन रहते हुए, पांच सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति की दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी, जिसके अन्तर्गत कंपनी का

परिसमापक, यदि कोई हो, भी है, व्यतिक्रमी है, पचास हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा और जारी रहने वाली असफलता की दशा में, पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम पांच लाख रुपए के अधीन रहते हुए पांच सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा ।"।

धारा 121 का संशोधन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 121 की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) यदि कंपनी उपधारा (2) के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व रिपोर्ट फाइल करने में असमर्थ रहती है तो ऐसी कंपनी एक लाख रुपए की शास्ति का और जारी रहने वाली असफलता की दशा में, पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम पांच लाख रुपए के अधीन रहते हुए, पांच सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति की दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी शास्ति, जो पच्चीस हजार रुपए से कम की नहीं होगी और जारी रहने वाली असफलता की दशा में, पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम एक लाख रुपए के अधीन रहते हुए पांच सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा ।"।

धारा 132 का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 132 में,—

(क) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(1क) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ऐसे प्रभागों के माध्यम से अपने ऐसे कृत्यों का, जो विहित किए जाएं, पालन करेगा ।";

(ख) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(3क) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के प्रत्येक प्रभाग की अध्यक्षता अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत पूर्णकालिक सदस्य द्वारा की जाएगी ।

(3ख) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का एक कार्यकारी निकाय होगा जो उपधारा (2) [खंड (क) से भिन्न] और उपधारा (4) के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए ऐसे प्राधिकरण के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों से मिलकर बनेगा ।"।

(ग) उपधारा (4) के खंड (ग) में, उपखंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) सदस्य या फर्म को छह मास की न्यूनतम अवधि या दस वर्ष से अनधिक ऐसी उच्चतर अवधि के लिए, जो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाए निम्नलिखित से विवर्जित करना—

I. किसी कंपनी या कॉरपोरेट निकाय के कृत्यों और क्रियाकलापों के वित्तीय विवरण या आंतरिक संपरीक्षा के सम्बन्ध में संपरीक्षक या आंतरिक संपरीक्षक के रूप में नियुक्त होने या कोई संपरीक्षा करने ; या

II. धारा 247 के अधीन यथा उपबंधित कोई मूल्यांकन करने ।"

धारा 135 का संशोधन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 135 में,—

(क) उपधारा (5) में,—

(i) "ठीक तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान" शब्दों के पश्चात्, "या जहां कंपनी ने ऐसे ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान अपने निगमन के समय से तीन वित्तीय वर्ष की अवधि पूरी नहीं की है" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) दूसरे परंतुक के अंत में आने वाले "रकम खर्च न करने के कारणों को विनिर्दिष्ट करेगा" शब्दों के पश्चात्, "और, जब तक अव्ययित रकम का उपधारा (6) में निर्दिष्ट किसी चालू परियोजना से सम्बन्ध नहीं है, तब तक ऐसी अव्ययित रकम को अनुसूची 7 में निर्दिष्ट निधि में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास की अवधि के भीतर अंतरित नहीं करेगा" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(6) ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, को पूरा करने वाले, जिनका जिम्मा कंपनी द्वारा अपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में लिया गया है, किसी चालू परियोजना के अनुसरण में, उपधारा (5) के अधीन शेष अव्ययित कोई रकम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर कंपनी द्वारा किसी अनुसूचित बैंक में खोले जाने वाले विशेष खाते में अव्ययित, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व खाता नामक खाते में उस वित्तीय वर्ष के लिए इस निमित्त अंतरित की जाएगी और ऐसी रकम ऐसे अंतरण की तारीख से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु कंपनी द्वारा अपनी बाध्यता के अनुसरण में व्ययित की जाएगी जिसके न हो सकने पर कंपनी तीसरे वित्तीय वर्ष के पूरे होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर इसे अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित करेगी ।

(7) यदि कंपनी उपधारा (5) या उपधारा (6) के उपबंधों का उल्लंघन करती है, कंपनी ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगी जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा और ऐसी कंपनी, का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

(8) केन्द्रीय सरकार ऐसी किसी कंपनी या कंपनी के वर्ग को ऐसे

साधारण या विशेष निदेश दे सकेगी जो वह इस धारा के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी कंपनी या कंपनियों का वर्ग ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा ।"

धारा 137 का संशोधन ।

22. मूल अधिनियम की धारा 137 की उपधारा (3) में,—

(क) "जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर, "शास्ति से, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी या दोनों के लिए दायी होंगे" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होंगे" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख रुपए की शास्ति और असफलता के जारी रहने की दशा में, पहले दिन के पश्चात्, प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम पांच लाख रुपए के अधीन रहते हुए एक सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति के दायी होंगे" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 140 का संशोधन ।

23. मूल अधिनियम की धारा 140 में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) यदि संपरीक्षक उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन नहीं करता है तो वह पचास हजार रुपए या संपरीक्षक के पारिश्रमिक के बराबर रकम, जो भी कम हो, की शास्ति का दायी होगा और ऐसी असफलता के जारी रहने की दशा में, पहले दिन के पश्चात्, प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम पांच लाख रुपए के अधीन रहते हुए पांच सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा ।"।

धारा 157 का संशोधन ।

24. मूल अधिनियम की धारा 157 में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) यदि कोई कंपनी, उपधारा (1) के अधीन निदेशक पहचान संख्या प्रस्तुत करने में असफल रहती है तो ऐसी कंपनी पच्चीस हजार रुपए की शास्ति और जारी रहने वाली असफलता की दशा में, पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम एक लाख रुपए के अधीन रहते हुए, एक सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति की दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है,ऐसी शास्ति, जो पच्चीस हजार रुपए की शास्ति से कम की नहीं होगी और जारी रहने वाली असफलता की दशा में, पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम एक लाख रुपए के अधीन रहते हुए एक सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा ।"।

धारा 159 के स्थान पर, नई धारा का प्रतिस्थापन ।

25. मूल अधिनियम की धारा 159 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय उपबंधों के व्यतिक्रम के लिए शास्ति ।

"159. यदि कंपनी का कोई व्यक्ति या निदेशक धारा 152, धारा 155 और धारा 156 के उपबंधों में से किसी उपबंध का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम करता है तो कंपनी का ऐसा व्यक्ति या निदेशक ऐसी शास्ति का दायी होगा जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और जहां व्यतिक्रम जारी रहने वाला व्यतिक्रम है, वहां ऐसी अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, पांच सौ रुपए तक की हो सकेगी ।"।

धारा 164 का संशोधन ।

26. मूल अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (1) में खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(झ) उसने धारा 165 की उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है ।"।

धारा 165 का संशोधन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 165 की उपधारा (6) में, "ऐसे जुर्माने से," शब्दों से आरम्भ होने वाले और "जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहेगा, पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा", शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पांच हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 191 का संशोधन ।

28. मूल अधिनियम की धारा 191 की उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(5) यदि कंपनी का कोई निदेशक इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम करता है तो ऐसा निदेशक एक लाख रुपए की शास्ति का दायी होगा ।"।

धारा 197 का संशोधन ।

29. मूल अधिनियम की धारा 197 में,—

(क) उपधारा (7) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (15) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(15) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करता है तो वह एक लाख रुपए की शास्ति का दायी होगा और जहां कोई व्यतिक्रम, कंपनी द्वारा किया गया है, वहां कंपनी पांच लाख रुपए की शास्ति की दायी होगी ।"।

धारा 203 का संशोधन ।

30. मूल अधिनियम की धारा 203 में, उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(5) यदि कोई कंपनी इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम करती है तो ऐसी कंपनी पांच लाख रुपए की शास्ति की दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक निदेशक तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, जो व्यतिक्रम करते हैं, पचास हजार रुपए की शास्ति के दायी होंगे और जहां व्यतिक्रम एक जारी रहने वाला व्यतिक्रम है, वहां पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, एक हजार रुपए, किन्तु पांच लाख रुपए से अनधिक की

अतिरिक्त शास्ति के दायी होंगे ।"।

31. मूल अधिनियम की धारा 212 में,— धारा 212 का संशोधन ।

(क) उपधारा (8) में, "यदि साधारण या विशेष आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय का निदेशक, अपर निदेशक या सहायक निदेशक" शब्दों के स्थान पर, "यदि साधारण या विशेष आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय के सहायक से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (9) में, "उपधारा (8) के अधीन" से आरम्भ होने वाले और "निदेशक" शब्दों, कोष्ठकों और आंकड़ों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "उपधारा (8) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी ऐसी उपधारा के अधीन ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के ठीक पश्चात्" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (10) में,—

(i) "न्यायिक मजिस्ट्रेट" शब्दों के स्थान पर, "विशेष न्यायालय या न्यायिक मजिस्ट्रेट" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक में, "मजिस्ट्रेट का न्यायालय" शब्दों के स्थान पर, "विशेष न्यायालय या मजिस्ट्रेट का न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ।

घ) उपधारा (14) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(14क) जहां उपधारा (11) या उपधारा (12) के अधीन रिपोर्ट में यह कथन किया जाता है कि कंपनी में कपट किया गया है और ऐसे कपट के कारण कोई निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, कंपनी के अन्य अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति या अस्तित्व ने अनुचित लाभ या फायदा, चाहे वह किसी आस्ति, संपत्ति या नकदी के रूप में हो या किसी अन्य रीति में हो, लिया है, वहां केन्द्रीय सरकार ऐसी आस्ति संपत्ति या नकदी की वसूली के सम्बन्ध में समुचित आदेशों के लिए और ऐसे निदेशक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, अन्य अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को दायित्व की किसी परिसीमा के बिना व्यक्तिगत रूप से दायी ठहराने के लिए अधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगी ।"। ;

32. मूल अधिनियम की धारा 238 की उपधारा (3) में, "जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर,"एक लाख रुपए की शास्ति का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे । मूल अधिनियम की धारा 238 का संशोधन ।

33. मूल अधिनियम की धारा 241 में,— धारा 241 का संशोधन ।

(क) उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु ऐसी कंपनी या कंपनियों के वर्ग, जो विहित किए जाएं, के सम्बन्ध में, इस उपधारा के अधीन आवेदन अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ के

समक्ष किए जाएंगे जिन पर ऐसे न्यायपीठ द्वारा कार्रवाई की जाएगी ;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) जहां केन्द्रीय सरकार की राय में निम्नलिखित का सुझाव देने वाली परिस्थितियां विद्यमान हैं कि—

(क) किसी कंपनी के क्रियाकलापों के संचालन और प्रबंध में सम्बद्ध कोई व्यक्ति विधि के अधीन अपनी बाध्यताओं या कृत्यों में कपट, अपकरण, निरंतर उपेक्षा या व्यतिक्रम या न्यासभंग का दोषी है या उसके सम्बन्ध में दोषी रहा है ;

(ख) कंपनी का कारबार, ठोस कारबार सिद्धांतों या विवेकपूर्ण वाणिज्यिक पद्धतियों के अनुसार, ऐसे व्यक्ति द्वारा उसे संचालित या उसका प्रबंध नहीं किया जाता है या नहीं किया गया है ;

(ग) कंपनी का संचालन और प्रबंधन किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति में, जिससे ऐसे व्यापार, उद्योग या कारबार, जिसके साथ ऐसे कंपनी का सम्बन्ध है, के हित को गंभीर क्षति या नुकसान कारित होने की संभावना है या क्षति या नुकसान कारित किया गया है ;

(घ) कंपनी का कारबार ऐसे व्यक्ति द्वारा कपटपूर्ण या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए या जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले रीति में अपने लेनदारों, सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति के साथ धोखा करने के आशय से संचालित और उसका प्रबंध किया जाता है या किया गया है,

वहां केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई केस आरम्भ कर सकेगी और उसे इस अनुरोध के साथ अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगी कि अधिकरण मामले की जांच करे और इस बारे में अपना विनिश्चय लेखबद्ध करे कि ऐसा व्यक्ति किसी कंपनी के संचालन और प्रबंधन से सम्बन्धित निदेशक के पद या किसी अन्य पद को धारण करने के लिए योग्य और उचित व्यक्ति है ।

(4) वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध केस उपधारा (3) के अधीन अधिकरण को निर्दिष्ट किया गया है, आवेदन के प्रत्यर्थी के रूप में सम्मिलित होगा ।

(5) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक आवेदन—

(क) में ऐसी परिस्थितियों और सामग्रियों का संक्षिप्त विवरण अंतर्विष्ट होगा जो केन्द्रीय सरकार जांच के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी वाद में वादपत्र के हस्ताक्षर और सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधिकथित रीति में हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा ।"। 1908 का 5

धारा 242 का संशोधन ।

34. मूल अधिनियम की धारा 242 में, उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4क) धारा 241 की उपधारा (3) के संबंध में केस की सुनवाई की समाप्ति पर,

अधिकरण उसमें विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन करते हुए अपना विनिश्चय इस बारे में लेखबद्ध करेगा कि क्या प्रत्यर्थी किसी कंपनी के संचालन और प्रबंधक से सम्बन्धित निदेशक के पद या किसी अन्य पद को धारण करने के लिए योग्य और उचित व्यक्ति है या नहीं ।"।

धारा 243 का संशोधन ।

35. मूल अधिनियम की धारा 243 में,—

(क) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(1क) ऐसा व्यक्ति, जो धारा 242 की उपधारा (4क) के अनुसरण में, योग्य और उचित व्यक्ति नहीं है, उक्त विनिश्चय की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए किसी कंपनी के कार्यकलापों के संचालन और प्रबंधन से सम्बद्ध निदेशक के पद या किसी अन्य पद को धारण नहीं करेगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार, अधिकरण की अनुमति से, ऐसे व्यक्ति को पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी ऐसे पद को धारण करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी ।

(1ख) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या संविदा, ज्ञापन या अनुच्छेदों के किसी अन्य उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कंपनी के कार्यकलापों के संचालन और प्रबंधन से संबद्ध निदेशक के पद या किसी अन्य पद से किसी व्यक्ति के हटाए जाने पर, वह व्यक्ति हानि या पद के पर्यवसान के लिए किसी प्रतिकर का संदाय किए जाने के लिए हकदार नहीं होगा ।"।

(ख) उपधारा (2) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, "या उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 248 का संशोधन ।

36. मूल अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (1) में,—

(क) खंड (ग) में, "धारा 455 "शब्द और अंकों के स्थान पर, "धारा 455 ; या" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ग) के पश्चात् और दीर्घ पंक्ति से पहले, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(घ) ज्ञापन के अभिदाताओं ने ऐसे अभिदान का संदाय नहीं किया है जिनका उन्होंने कंपनी के निगमन के समय संदाय करने का वचन दिया था और इस आशय के लिए एक घोषणा धारा 10क की उपधारा (1) के अधीन इसके निगमन के एक सौ अस्सी दिन के भीतर फाइल नहीं की गई है; या

(ङ) ऐसी कंपनी, जो धारा 12 की उपधारा (9) के अधीन किए गए वास्तविक सत्यापन के पश्चात् उल्लेख किए गए अनुसार कोई कारबार या संक्रियाएं नहीं कर रही है ;"।

धारा 272 का संशोधन ।

37. मूल अधिनियम की धारा 272 की उपधारा (3) में, "उस उपधारा के खंड (क) या खंड (ङ)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "उस धारा के खंड (क)

या खंड (ङ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 398 का संशोधन ।

38. मूल अधिनियम की धारा 398 की उपधारा (1) के खंड (च) में, "प्रोस्टपेक्टस" शब्द का लोप किया जाएगा ।

धारा 441 का संशोधन ।

39. मूल अधिनियम की धारा 441 में,—

(क) उपधारा (1) के खंड (ख) में, "पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है" शब्दों के स्थान पर, "पच्चीस लाख रुपए से अधिक नहीं है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई अपराध, जो इस अधिनियम के अधीन केवल कारावास से या कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय है, शमनीय नहीं होगा ।"। 1974 का 2

धारा 446ख का संशोधन ।

40. मूल अधिनियम की धारा 446ख में, "ऐसी धाराओं में विनिर्दिष्ट जुर्माने से", शब्दों से आरम्भ होने वाले और "दंडनीय होगा" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "ऐसी शास्ति, जो ऐसी धाराओं में विनिर्दिष्ट शास्ति के आधे से अधिक नहीं होगी, का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे ।"।

धारा 447 का संशोधन ।

41. मूल अधिनियम की धारा 447 के दूसरे परंतुक में, "पच्चीस लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पचास लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 454 का संशोधन ।

42. मूल अधिनियम की धारा 454 में,—

(i) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) न्यायनिर्णायक अधिकारी,त आदेश द्वारा,-

(क) कंपनी, यथास्थिति, ऐसे अधिकारी पर, जो व्यतिक्रमी है या किसी अन्य व्यक्ति पर इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन किसी अननुपालन या व्यतिक्रम का उसमें उल्लेख करते हुए, शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ; और

(ख) यथास्थिति, ऐसी कंपनी या अधिकारी को, जो व्यतिक्रम करता है या किसी अन्य व्यक्ति को, जब कभी वह ठीक समझे, व्यतिक्रम का सुधार करने के लिए निदेश दे सकेगा ।";

(ii) उपधारा (4) में "ऐसी कंपनी और अधिकारी को, जो व्यतिक्रमी है" शब्दों के स्थान पर "ऐसी कंपनी, ऐसा अधिकारी जो व्यतिक्रमी है या किसी अन्य व्यक्ति को" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (8) में,—

(क) खंड (i) में, "जहां कंपनी, न्यायनिर्णायक अधिकारी या प्रादेशिक निदेशक द्वारा अधिरोपित शास्ति का संदाय आदेश प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर नहीं करती है" शब्दों के स्थान पर, "जहां कंपनी, यथास्थिति, उपधारा (3) या उपधारा (7) के अधीन किए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहती है" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ii) में, —

(i) "जहां किसी कंपनी का कोई अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "जहां किसी कंपनी का कोई अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "शास्ति का संदाय नहीं करता है" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, उपधारा (3) या उपधारा (7) के अधीन किए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

नई धारा 454क का अन्तःस्थापन ।

43. मूल अधिनियम की धारा 454 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

पुनरावृत्त व्यतिक्रम के लिए शास्ति ।

"454क. जहां किसी कंपनी या किसी कंपनी का कोई अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन व्यतिक्रम के लिए शास्ति का भागी है, यथास्थिति, न्यायनिर्णायक अधिकारी या प्रादेशिक निदेशक द्वारा पारित ऐसी शास्ति को अधिरोपित करने वाले आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर पुनः ऐसा व्यतिक्रम करता है, वहां वे ऐसे दूसरे या पश्चातवर्ती व्यतिक्रमों के लिए इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन ऐसे व्यतिक्रम के लिए उपबंधित शास्ति की दो गुणा रकम के बराबर रकम के दायी होंगे ।"।

2019 का अध्यादेश सं. 6

निरसन और व्यावृतियां ।

44. (1) कंपनी (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 को निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) कंपनियों से संबंधित विधि को समेकित करने और उसका संशोधन करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था । अधिनियम में पणधारियों, निदेशकों, संपरीक्षकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की जवाबदेही के प्रकटन, विनिधानकर्ता संरक्षण और कारपोरेट शासन से संबंधित महत्वपूर्ण परिवर्तन समाविष्ट किए गए हैं ।

2. अपराधों से सम्बन्धित अधिनियम के विद्यमान उपबंधों का पुनर्विलोकन करने करने और बेहतर कारपोरेट अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने जुलाई, 2018 में एक समिति का गठन किया था और उक्त समिति ने, विभिन्न पणधारियों के अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् अगस्त, 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । समिति ने यह सिफारिश की थी कि विधि की विद्यमान कठोरता गंभीर अपराधों के लिए बनी रहनी चाहिए जबकि ऐसी कमियां, जो आवश्यक रूप से तकनीकी या प्रक्रिया संबंधी प्रकृति की हैं, आंतरिक न्यायनिर्णयन प्रक्रिया में परिवर्तित की जा सकती हैं ।

3. समिति द्वारा की गई सिफारिशों की सरकार द्वारा समीक्षा की गई थी और यह देखा गया था कि उक्त समिति द्वारा सुझाए गए कंपनी अधिनियम, 2013 में परिवर्तन कारपोरेट का पालन करने वाली विधि पर अधिक सुगम कारबार का साथ साथ विस्तार करते समय उक्त अधिनियम में यथा प्रतिष्ठापित कारपोरेट शासन और अनुपालन कार्य ढांचा में महत्वपूर्ण अंतर को पूरा करेंगे । तद्नुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के कतिपय उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया था । तथापि, अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2018, 2 नवम्बर, 2018 को प्रख्यापित किया गया था । पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए, एक विधेयक अर्थात् कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2018 लोकसभा में पुरःस्थापित किया गया था और उसे 4 जनवरी, 2019 को उक्त सदन में पारित किया गया था । तथापि, उक्त विधेयक राज्य सभा में विचार किए जाने के लिए नहीं लिया जा सका था ।

4. कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को सतत् प्रभाव देने के उद्देश्य से, राष्ट्रपति ने कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2019 और कंपनी (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 क्रमशः 12 जनवरी, 2019 और 21 फरवरी, 2019 को प्रख्यापित किया था । अतः, अब, कंपनी (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 को प्रतिस्थापित करने के लिए कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019 को लाने का प्रस्ताव किया गया है जिसमें ऐसे कतिपय अन्य संशोधन हैं जो कारपोरेट सुशासन संनियमों तथा कारपोरेट सेक्टर में अनुपालन प्रबंध को मजबूत बनाने के लिए अधिक जवाबदेही और बेहतर प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे गए हैं ।

5. कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019 जो कंपनी (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 को कतिपय अतिरिक्त संशोधनों सहित प्रतिस्थापित करने के लिए है, अन्य बातों के साथ साथ, निम्नलिखित का उपबंध करता है, अर्थात् :—

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (41) का संशोधन करना जिससे केन्द्रीय सरकार को कतिपय कंपनियों को अधिकरण द्वारा यथा अवधारित के बजाय, भिन्न भिन्न वित्तीय वर्ष रखने के लिए अनुज्ञात किया जा सके ;

(ii) कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाने के लिए कार्रवाई आरंभ करने के लिए रजिस्ट्रार को सशक्त करने वाली अधिनियम की धारा 12 का संशोधन करना, यदि कंपनी इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कोई कारबार या संक्रिया नहीं कर रही है ;

(iii) अधिनियम की सोलह धाराओं का संशोधन करना जिससे वे विशेष न्यायालयों पर भार को कम करने के लिए उक्त धाराओं में यथा उपबंधित दंड को जुर्माने से धनीय शास्तियों में उपांतरित किया जा सके ; और

(iv) अधिनियम की धारा 132 का संशोधन करना जिससे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को प्रभाग तथा कार्यकारी निकाय के माध्यम से अपने कृत्यों का पालन करने के लिए समर्थ बनाया जा सके ;

(v) अधिनियम की धारा 135 का संशोधन करना जिससे—

(क) तीन वित्तीय वर्षों के भीतर व्यय की जाने वाली अव्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की रकम को विशेष खाते में अग्रनीत करने में और तत्पश्चात् चालू रहने वाली परियोजना के मामले में अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट विधि में अंतरण करने में ; और

(ख) अन्य मामलों में अनुसूची 7 के अधीन विनिर्दिष्ट विधि में अव्ययित रकम को अंतरित करने में,

स्पष्टता लाई जा सके ।

(vi) अधिनियम की धारा 241, धारा 242, धारा 243 का संशोधन करना जिससे केन्द्रीय सरकार को ऐसे व्यक्तियों के, जो कंपनी के संचालन और प्रबंधन से सम्बद्ध है और जो उनके द्वारा किए गए कार्यों, जो कुप्रबंधन की कोटि में आते हैं, के लिए उपयुक्त और उचित व्यक्ति नहीं है, के विरूद्ध आदेश जारी करने हेतु अधिकरण में पहुंचने के लिए सशक्त बनाया जा सके ; और

(vii) अधिनियम की धारा 441 का संशोधन करना जिससे अपराधों के प्रशमन के लिए क्षेत्रीय निदेशक की अधिकारिता में वृद्धि की जा सके ।

6. चूंकि संसद सत्र में नहीं थी और तुरन्त कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी, इसलिए, कंपनी (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 राष्ट्रपति द्वारा 21 फरवरी, 2019 को प्रख्यापित किया गया था ।

7. खंडों पर टिप्पण विधेयक के विभिन्न उपबंधों को विस्तारपूर्वक स्पष्ट करता है।

8. विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
19 जुलाई, 2019

निर्मला सीतारमण

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड 1 प्रस्तावित विधान के संक्षिप्त नाम और प्रारंभ के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 2 कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 2 के खंड 41 का संशोधन करने के लिए जिससे कि सुसंगत कंपनियों को अधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करने के बजाय केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से भिन्न भिन्न वित्तीय अनुसरण करने के लिए समर्थ बनाया जा सकें ।

विधेयक का खंड 3 कारबार आदि के प्रारंभ से संबंधित एक नई धारा 10क अंत:स्थापित करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि शेयर पूजीं रखने वाली कोई कंपनी कोई कारबार तब तक आरंभ नहीं करेगी या उधार लेने वाली शक्तियों का प्रयोग तब तक नहीं करेगी जब तक निदेशक द्वारा रजिस्ट्रार के पास यह घोषणा फाइल नहीं कर दी जाती है कि ज्ञापन के प्रत्येक अभिदाता ने शेयरों के मूल्य का संदाय नहीं कर दिया है और कंपनी ने अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का सत्यापन रजिस्ट्रार के पास फाइल नहीं कर दिया है । उक्त खंड यह और उपबंध करता है कि घोषणा के फाइल करने का अननुपालन का परिणाम अध्याय 18 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा कार्रवाई किया जाना हो सकता है ।

विधेयक का खंड 4 अधिनियम की धारा 12 में एक नई उपधारा (9) अंत:स्थापित करने के लिए जिससे उपबंध किया जा सके कि रजिस्ट्रार कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का वास्तविक सत्यापन करा सकेगा, यदि उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कंपनी यथाविनिर्दिष्ट कोई कारबार या संक्रियाएं नहीं कर रही है और उसकी परिणामिक कार्रवाई का उपबंध करा सकेगा ।

विधेयक का खंड 5 अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी प्राइवेट कपंनी में किसी लोक कंपनी के संपरिवर्तन का प्रभाव रखने वाला कोई परिवर्तन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक यह ऐसी प्ररूप और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, किए गए आवदेन पर केंद्रीय सरकार के आदेश द्वारा अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है । पहले यह अनुमोदन अधिकरण से अभिप्राप्त किया गया था ।

विधेयक का खंड 6 खंड अधिनियम 26 की उपधारा (4), उपधारा (5) और उपधारा (6) का संशोधन करने के लिए है जिससे रजिस्ट्रार के पास प्रोस्पेक्टस की फाइलिंग के साथ प्रोस्पेक्टस के रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा को प्रतिस्थापित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 7 अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) का संशोधन करने और उसमें उपधारा (1क) अन्त:स्थापित करने के लिए जिससे ऐसी असूचीबद्ध कंपनियों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, के किसी वर्ग के ले अभौतिक रूप में प्रतिभूतियों के जारी किए जाने, उन्हें धारण करने या उनके अंतरण की अपेक्षा के लिए उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 8 अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ग) का संशोधन करने के ले है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रोस्पेक्टस की प्रति

रजिस्ट्रीकरण के परिदान के बजाय, रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी ।

विधेयक का खंड 9 अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है जिससे उक्त धारा के उपबंध का अनुपालन करने की असफलता की दशा में धनीय शास्ति और धनराशियों के प्रतिदाय के लिए उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 10 अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए जिससे ऐसी धारा के उपबंध का अनुपालन करने की असफलता की दशा में व्यतिक्रम करने पर कंपनी और उसके अधिकारियों के लिए धनीय शास्ति का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 11 अधिनियम की धारा 77 की उपधारा (1) के पहले और दूसरे परंतुक का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि रजिस्ट्रार, कपंनी के द्वारा किए गए आवेदन पर, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ से पूर्व सृजित प्रभारों की दशा में, तीन सौ दिन के भीतर या उक्त अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् सृजित प्रभारों की दशा में साठ दिन के भीतर अतिरिक्त फीस का संदाय करने पर प्रभार के रजिस्ट्रीकरण को अनुज्ञात कर सकेगा । ऐसी अतिरिक्त अवधि का जिसके भीतर प्रभार रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित है, भी उपबंध किया गया है ।

विधेयक का खंड 12 अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (2) अंत:स्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा कोई व्यक्ति जो स्वेछापूर्वक धारा 77 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित कोई मिथ्या या गलत सूचना प्रस्तुत करता है या जानबूझकर किसी तात्विक सूचना को छिपाता है तो धारा 447 के अधीन कार्रवाई किए जाने का दायी होगा ।

विधेयक का खंड 13 अधिनियम की धारा 87 को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे कि केंद्रीय सरकार को, समय का विस्तार करने के लिए या सुधार अनुज्ञात करने के लिए सशक्त किया जा सके, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अध्याय 6 के अधीन अपेक्षित समय के भीतर संदाय करने या उसे चुकाने में सूचना देने में चूक ; या किसी ऐसे प्रभार या उसके उपांतरण या भुगतान के किसी ज्ञापन या धारा 82 या धारा 83 के अनुसरण में की गई अन्य प्रविष्टि के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार को की गई पूर्व में किसी फाइलिंग में, किन्हीं विशिष्टियों का लोप या मिथ्या कथन ।

विधेयक का खंड 14 उपधारा (4क) अन्तःस्थापित करके अधिनियम की धारा 90 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कंपनी किसी ऐसे व्यक्ति, जो एक महत्वपूर्ण फायदाग्राही स्वामी है, की पहचान करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी । आवश्यक उपाय करने में असफलता का परिणाम उपधारा (11) के अधीन कार्रवाई होगा । यह अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (9) का संशोधन करने के लिए भी है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अधिकरण के आदेश से व्यथित कंपनी का व्यक्ति उपधारा (8) के अधीन लगाए गए निर्बंधनों को शिथिल करने या उन्हें उठाने के लिए ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिकरण को आवेदन कर सकेगा और यदि ऐसा कोई आवेदन फाइल नहीं किया जाता है तो ऐसे शेयर विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण को बिना किसी निर्बंधनों के अन्तरित किए जाएंगे । खंड, उपधारा (9क) अन्तःस्थापित करने के लिए भी है जिससे इस धारा के प्रयोजनों के लिए नियम बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार को शक्ति प्रदान की

जा सके ।

विधेयक का खंड 15 अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (5) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई कंपनी उपधारा (4) के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले अपनी वार्षिक विवरणी फाइल करने में असफल रहती है तो ऐसी कंपनी और उसका प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रम करता है उपबंध में यथा विनिर्दिष्ट धनीय शास्ति का दायी होगा ।

विधेयक का खंड 16 अधिनियम की धारा 102 की उपधारा (5) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में कंपनी का प्रत्येक संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक या अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक जो व्यतिक्रम करते हैं, उपबंध में यथा विनिर्दिष्ट शास्ति के दायी होंगे ।

विधेयक का खंड 17 अधिनियम की धारा 105 की उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन किसी व्यतिक्रम के लिए, व्यतिक्रम करने वाला अधिकारी उपधारा (3) में यथा विनिर्दिष्ट धनीय शास्ति के लिए दायी होगा ।

विधेयक का खंड 18 अधिनियम की धारा 117 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (1) के अनुसार प्रत्येक संकल्प या करार की प्रति फाइल करने में असफलता के लिए, कंपनी और उसका व्यतिक्रमी अधिकारी उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट धनीय शास्ति के लिए दायी होगा ।

विधेयक का खंड 19 अधिनियम की धारा 121 की उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है जिससे उक्त धारा की उपधारा (2) के अनुसार नियत अवधि के भीतर रिपोर्ट की प्रति रजिस्ट्रार के पास फाइल न करने के लिए धनीय शास्ति का संदाय करने के दायित्व का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 20 अधिनियम की धारा 132 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ऐसे प्रभागों के माध्यम से अपने कृत्यों का पालन करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं । खंड यह भी उपबंध करने के लिए है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का एक कार्यकारी निकाय होगा जो अपने कतिपय कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों से मिलकर बनेगा । खंड राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा सदस्य या फर्म के विवर्जन के विस्तार के सम्बन्ध में धारा 132 की उपधारा (4) के खंड (ग) के उपखंड (ख) का संशोधन करने के लिए भी है, यदि व्यवसायिक या अन्य अवचार साबित हो जाता है ।

विधेयक का खंड 21 धारा 135 की उपधारा (5) का संशोधन करने और अधिनियम की उक्त धारा 6, उपधारा 7 और उपधारा 8 अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे अन्य बातों के साथ-साथ (क) तीन वित्तीय वर्षों के भीतर अव्ययित रकम को विशेष खाते में अग्रेषित करने के लिए और चालू परियोजना के दशा में असूचित 7 में विनिर्दिष्ट निधि में तत्पश्चात् अंतरित करने के लिए और अन्य मामलों में अनुसूची 7 के अधीन विनिर्दिष्ट निधि मं अव्ययित रकमों को अंतरित करने के लिए उपबंध किया

जा सके ।

विधेयक का खंड 22 अधिनियम की धारा 137 की उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है जिससे रजिस्ट्रार के पास वित्तीय विवरणियों की प्रति फाइल करने की असफलता की दशा में धनीय शास्ति के संदाय के लिए उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 23 अधिनियम की धारा 140 की उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि पचास हजार रुपए की धनीय शास्ति या पारिश्रमिक के बराबर रकम, जो भी कम हो, के संदाय के लिए और चालू रहने वाली असफलता के लिए अतिरिक्त शास्ति के लिए, यदि संपरीक्षक उक्त धारा की उपधारा (2) का अनुपालन नहीं करता है, उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 24 अधिनियम की धारा 157 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है जिससे उक्त धारा की उपधारा (1) के अनुसरण में निदेशक पहचान संख्या प्रस्तुत करने के लिए असफल होने की दशा में, धनीय शास्ति के संदाय के लिए उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 25 अधिनियम की धारा 159 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि धनीय शास्ति के संदाय के लिए उपबंध किया जा सके यदि अधिनियम की धारा 152, धारा 155 और धारा 156 का अनुपालन करने में कोई व्यक्ति या कंपनी का निदेशक व्यतिक्रम करता है ।

विधेयक का खंड 26 अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (1) में खंड (i) अंत:स्थापित करने के लिए है जिससे निदेशक बनने के लिए निरर्हता का उपबंध किया जा सके यदि व्यक्ति ने अधिनियम की धारा 165 की उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है ।

विधेयक का खंड 27 अधिनियम की धारा 165 की उपधारा (6) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि धनीय शास्ति के संदाय का उपबंध किया जा सके यदि कोई व्यक्ति उक्त धारा की उपधारा (1) के उल्लंघन में निदेशक के रूप में नियुक्ति स्वीकार करता है ।

विधेयक का खंड 28 अधिनियम की धारा 191 की उपधारा (5) का संशोधन करने के लिए है जिससे धनीय शास्ति के संदाय का उपबंध किया जा सके यदि निदेशक ऐसी धारा का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करता है ।

विधेयक का खंड 29 अधिनियम की धारा 197 की उपधारा (7) और उपधारा (15) का लोप करने के लिए है जिससे व्यतिक्रम की दशा में किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा धनीय शास्ति के संदाय का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 30 अधिनियम की धारा 203 की उपधारा (5) का संशोधन करने के लिए है जिससे किसी कंपनी और निदेशक तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक द्वारा जो उक्त धारा का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करता है, धनीय शास्ति के संदाय का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 31 अधिनियम की धारा 212 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) के सहायक निदेशक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी, इस प्रकार

प्राधिकृत किया जाए, इस धारा के उपबंधों के अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा । खंड यह भी उपबंध करने के लिए है कि इस प्रकार गिरफ्तार किया गया व्यक्ति उसके गिरफ्तार किए जाने के चौबीस घंटों के भीतर विशेष न्यायालय या न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा । इसके अतिरिक्त, खंड यह भी उपबंध करने के लिए है कि जहां गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा प्रस्तुत अन्वेषण रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि कपट किया गया है और किसी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या अधिकारी ने अनुचित लाभ या फायदा लिया है, वहां केन्द्रीय सरकार ऐसी अनियमितता के संबंध में अधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगी और निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या प्राधिकारी दायित्व की किसी परिसीमा के बिना व्यक्तिगत रूप से दायी ठहराए जा सकेंगे ।

विधेयक का खंड 32 अधिनियम की धारा 238 की उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है जिससे ऐसे निदेशक जो ऐसा परिपत्र जारी करता है जिसे उक्त धारा की उपधारा (1) के अनुसार रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है और रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है, के लिए धनीय शास्ति के संदाय का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 33 अधिनियम की धारा 241 की उपधारा (2) का एक परंतुक अन्तःस्थापित करके संशोधन करने के लिए है जिससे ऐसी कंपनी या कंपनियों के वर्ग को विहित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त किया जा सके जिनके सम्बन्ध में ऐसी उपधारा के अधीन आवेदन अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ के समक्ष किए जाएंगे और उन पर ऐसी न्यायपीठ द्वारा कार्रवाई की जाएगी । खंड यह भी उपबंध करने के लिए है कि कतिपय परिस्थितियों में, केन्द्रीय सरकार अधिकरण को मामले को निर्दिष्ट कर सकेगी और यह अनुरोध कर सकेगी कि वह मामले की जांच करे और इस बारे में विनिश्चय अभिलिखित करे कि क्या व्यक्ति किसी कंपनी के संचालन और प्रबंध से सम्बन्धित निदेशक के पद या किसी अन्य पद को धारण करने के लिए उपयुक्त और उचित व्यक्ति है ।

विधेयक का खंड 34 अधिनियम की धारा 242 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 241 के सम्बन्ध में मामले की सुनवाई की समाप्ति पर, अधिकरण इस बारे में विनिर्दिष्ट रूप से कथन करते हुए, अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा कि क्या प्रत्यर्थी किसी कंपनी के संचालन और प्रबंध से सम्बन्धित निदेशक के पद या किसी अन्य पद को धारण करने के लिए उपयुक्त और उचित व्यक्ति है या नहीं ।

विधेयक का खंड 35 अधिनियम की धार 243 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा व्यक्ति, जो धारा 242 के अनुसरण में उपयुक्त और उचित व्यक्ति नहीं है, किसी कंपनी के कार्यों के संचालन और प्रबंध से सम्बन्धित निदेशक के पद या किसी अन्य पद को अधिकरण के सुसंगत विनिश्चय की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए धारण नहीं करेगा । खंड यह भी उपबंध करने के लिए है कि केन्द्रीय सरकार अधिकरण की अनुमति से ऐसे व्यक्ति को पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी ऐसे पद को धारण करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी । खंड यह भी उपबंध करने के लिए है कि कंपनी के कार्यों के संचालन और

प्रबंधन से सम्बन्धित निदेशक के पद या किसी अन्य पद से इस प्रकार हटाया गया व्यक्ति पद की हानि या पर्यावसान के लिए किसी प्रतिकर का या उसके संदाय के लिए हकदार नहीं होगा ।

विधेयक का खंड 36 अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध करने के लिए नया खंड (घ) और खंड (ड.) अंत:स्थापित किया जा सके कि यदि ज्ञापन के अभिदाताओं ने ऐसे अभिदाय का संदाय नहीं किया है जिसकी उन्होंने संदाय करने का वचनबंध किया था और धारा 10क के अधीन घोषणा फाइल नहीं की गई है या जहां कंपनी वास्तविक सत्यापन के पश्चात् यथा प्रकटित कोई कारबार या संक्रिया नहीं कर रही है, रजिस्ट्रार ऐसी कंपनियों और निदेशकों को अपने आशय के बारे में उन्हें यह सूचित करते हुए सूचना भेजेगा कि वे कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाएं ।

विधेयक का खंड 37 अधिनियम की धारा 272 की उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है जिससे रजिस्ट्रार वर्तमान याचिका का परिसमापन करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके, को इस आधार पर कि यह धारा 271 के खंड (ड) के अधीन ऐसा करना न्याय संगत और साम्यपूर्ण है ।

विधेयक का खंड 38 अधिनियम की धारा 398 की उपधारा (1) के खंड (च) का संशोधन करने के लिए जिससे "प्रोस्पेक्टस" शब्द का लोप किया जा सके क्योंकि यह रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा ।

विधेयक का खंड 39 अधिनियम की धारा 441 की उपधारा (1) के खंड (ख) का संशोधन करने के लिए है जिससे जुर्माने की अधिकतम रकम की उस अवसीमा को बढ़ाया जा सके जो क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा प्रशमन करने के लिए पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है ।

विधेयक का खंड 40 अधिनियम की धारा 446ख का संशोधन करने के लिए है जिससे एक व्यक्ति कंपनी या लघु कंपनियों द्वारा व्यतिक्रम के बारे में धनीय शास्ति की घटी हुई रकम का संदाय का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 41 अधिनियम की धारा 447 का संशोधन करने के लिए है जिससे जुर्माने की रकम को बीस लाख रुपए से बढ़ाकर पचास लाख रुपए किया जा सके ।

विधेयक का खंड 42 अधिनियम की धारा 454 की उपधारा (3) और उपधारा (8) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि न्यायनिर्णयन अधिकारी, जहां कहीं वह ठीक समझता है, व्यतिक्रम को ठीक करने के लिए कंपनी या व्यतिक्रमी अधिकारी या अन्य व्यक्ति को भी निदेश दे सकेगा ।

विधेयक का खंड 43 ऐसी पुनरावृत्त व्यतिक्रम के लिए धनीय शास्ति, जो इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन ऐसे व्यतिक्रमों के लिए उपबंधित शास्ति की रकम का दुगुना है, से संबंधित एक नई धारा 454क अंत:स्थापित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 44 कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 का निरसन करने के लिए अध्यादेश की अवधि के दौरान की गई कार्रवाइयों को व्यावृत्त करने के लिए है ।

वित्तीय ज्ञापन

कंपनी (संशोधन) विधेयक 2019 के उपबंधों में इसके अधिनियमित किए जाने पर कोई आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का व्यय अन्तर्विलित नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 2 उपखंड (क) केन्द्रीय सरकार को अधिनियम की धारा 2 के खंड (41) के पहले परन्तुक के अधीन, ऐसा प्ररूप और रीति विहित करने के लिए शक्ति प्रदान करता है, जिसमें किसी अवधि को वित्तीय वर्ष के रूप में अनुज्ञात करने के लिए सुसंगत कंपनी या निगमित निकाय द्वारा केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया जाएगा ।

खंड 3 धारा 10क की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन, ऐस प्ररूप और रीति विहित करने के लिए सशक्त करता है, जिसमें इस प्रभाव के लिए निदेशक द्वारा कोई घोषणा फाइल की जानी है और उसे सत्यापित किया जाना है कि ज्ञापन के अभिदाता ने ऐसी घोषणा करने की तारीख को उसके द्वारा प्राप्त किए जाने के लिए करार पाए गए शेयरों के मूल्य का संदाय कर दिया है ।

खंड 4 केन्द्रीय सरकार को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (9) के अधीन ऐसी रीति विहित करने के लिए सशक्त करता है जिसमें रजिस्ट्रार कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का वास्तविक सत्यापन करवा सकेगा, यदि उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कंपनी कोई कारबार या संक्रियाएं नहीं कर रही हैं ।

खंड 5 केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के दूसरे परन्तुक के अधीन, ऐसा प्ररूप और रीति विहित करने के लिए सशक्त करती है जिसमें किसी लोक कंपनी को प्राइवेट कंपनी के संपरिवर्तन का प्रभाव रखने वाले अनुच्छेदों के किसी परिवर्तन के लिए इसके अनुमोदन की वांछा करने वाला आवेदन केन्द्रीय सरकार को किया जाना है ।

खंड 7 केन्द्रीय सरकार को धारा 29 की धारा 1क के अधीन उन असूचीबद्ध कंपनियों के वर्ग या वर्गों, जहां प्रतिभूतियां धारित की जाती हैं या केवल अभौतिक रूप में अंतरित की जाती हैं, को विहित करने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 11 केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 77 की उपधारा (1) के अधीन, (क) ऐसी अतिरिक्त फीस जिसे कंपनी फाइलिंग की आरंभिक अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभार के रजिस्ट्रीकरण के रजिस्ट्रार को आवेदन करते समय संदत्त करेगी ; (ख) कंपनियों के भिन्न भिन्न वर्गों के लिए अतिरिक्त फीसें और भिन्न फीसें और मूल्यानुसार फीसें, विहित करने के लिए सशक्त करती है ।

खंड 14 केन्द्रीय सरकार के अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (9) के परन्तुक के अधीन, ऐसी रीति विहित करने के लिए सशक्त करता है, जिसमें अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (5) के अधीन गठित प्राधिकारी को शेयर अन्तरित किए जाएगें, यदि उपधारा (8) में निर्दिष्ट आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर कोई आवेदन फाइल नहीं किया गया है । खंड नई उपधारा 9क अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि केन्द्रीय सरकार को अधिनियम की धारा 90 के प्रयोजन के लिए नियम

विहित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके ।

खंड 20 केन्द्रीय सरकार को धारा 132 की उपधारा (1क) के अधीन ऐसे विभागों को विहित करने के लिए सशक्त करता है जिनके माध्यम से राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अपने कृत्यों का पालन करेगा ।

खंड 21 केन्द्रीय सरकार को धारा 135 की उपधारा (6) के अधीन उन शर्तों को विहित करने के लिए सशक्त करता है जिन्हें उस चालू परियोजना, जिसके सम्बन्ध में, अव्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की रकमें विशेष खाते में अंतरित की जा सकेंगी, के संदर्भ में पूरा किया जाना आवश्यक हैं ।

खंड 33 केन्द्रीय सरकार को धारा 241 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन ऐसी कंपनी या कंपनियों के वर्ग को विहित करने के लिए सशक्त करता है जिनके सम्बन्ध में आवेदन अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ के समक्ष किए जाएंगे ।

2. वे विषय, जिनके संबंध में उक्त नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और अतः, प्रस्तावित विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । इसलिए, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 18) से उद्धरण

* * * * * *

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं ।

* * * * * *

(41) किसी कंपनी या निगमित निकाय के संबंध में, "वित्तीय वर्ष" वित्तीय वर्ष से प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि और जहां उसको किसी वर्ष की 1 जनवरी को या उसके पश्चात् निगमित किया गया है वहां उस आगामी वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है, जिसके संबंध में ऐसी कंपनी या निगमित निकाय का वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है:

परंतु ऐसी किसी कंपनी या निगमित निकाय द्वारा किए गए आवेदन पर, जो कोई नियंत्री कंपनी या भारत के बाहर निगमित किसी कंपनी की समनुषंगी है और भारत के बाहर अपने लेखाओं के समेकन के लिए किसी भिन्न वित्तीय वर्ष का पालन करने के लिए अपेक्षित है, अधिकरण यदि उसका समाधान हो जाता है तो उसके वित्तीय वर्ष के रूप में कोई अवधि अनुज्ञात कर सकेगा, चाहे वह अवधि कोई वर्ष हो या नहीं :

परंतु यह और कि इस अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान कोई कंपनी या निगमित निकाय, ऐसे प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के भीतर इस खंड के उपबंधों के अनुसार उपने वित्तीय वर्ष को सम्मिलित करेगा :

* * * * * *

14. (1) कोई कंपनी, इस अधिनियम के उपबंधों और अपने ज्ञापन में अंतर्विष्ट शार्तों यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए विशेष संकल्प द्वारा, अपने अनुच्छेदों में परिवर्तन कर सकेगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित के संपरिवर्तन का प्रभाव रखने वाले परिवर्तन भी है— अनुच्छेदों का परिवर्तन ।

(क) किसी प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी में ; या

(ख) किसी पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी :

परंतु जहां, कोई कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी है, अपने अनुच्छेदों में ऐसी रीति से परिवर्तन करती है कि उसमें अब ऐसे निर्बंधन और परिसीमाएं सम्मिलित नहीं है जो इस अधिनियम के अधीन किसी प्राइवेट कंपनी के अनुच्छेदों में सम्मिलित किए जाने के लिए अपेक्षित हैं, वहां कंपनी, ऐसे परिवर्तन की तारीख से, प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी :

परंतु यह और कि किसी पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन का प्रभाव रखने वाला कोई परिवर्तन, अधिकरण के अनुमोदन के सिवाय प्रभावी नहीं होगा,

जो ऐसा आदेश करेगा, जो वह ठीक समझें ।

(2) इस धारा के अधीन अनुच्छेदों का प्रत्येक परिवर्तन और उपधारा (1) के अनुसार परिवर्तन का अनुमोदन करने वाले अधिकरण के आदेश की एक प्रति, परिवर्तित अनुच्छेदों की मुद्रित प्रति के साथ पंद्रह दिन की अवधि के भीतर ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी, जो उसे रजिस्टर करेगा ।

* * * * * *

संविदा के निबंधनों या उद्देश्यों में फेरफार ।

26. (1) * * * * *

(4) किसी कंपनी द्वारा या उसकी ओर से या किसी आशयित कंपनी के संबंध में कोई प्रास्पेक्टस तब तक जारी नहीं कियाजाएगा, जब तक उसके प्रकाशन की तारीख को या उसके पूर्व प्रत्येक ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम उसमें कंपनी के नदेशक या प्रस्तावित निदेशक के रूप में है या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षित उसकी एक प्रति रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को परिदत्त न कर दी गई हो ।

(5) उपधारा (1) के अधीन जारी प्रास्पेक्टस में किसी विशेषज्ञ द्वारा किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कथन तब तक सम्मिलित नहीं होगा, जब तक विशेषज्ञ ऐसा व्यक्ति न हो, जो किसी कंपनी के गठन या संवर्धन या उसके प्रबंध में नहीं लगा है या नहीं लगा रहा है या हितबद्ध नहीं रहा है, र उसकने प्रास्पेक्टस जारी करने केलिए अपनी लिखित सहमति नहीं दी हो और ऐसी सहमति रजिसट्रार को रजिसट्रीकरण के लिए प्रास्पेक्टस की कोई प्रति परिदत्त करने से पूर्व वापस नहीं ली हो तथा प्रास्पेक्टस में उस प्रभाव का कथन सम्मिलित किया जाएगा ।

(6) उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक प्रास्पेक्टस में प्रत्यक्षतः–

(क) यह कथन होगा कि उपधारा (4) के अधीन यथा अपेक्षित एक प्रति रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को परिदत्त कर दी गई है ; और

(ख) इस धारा द्वारा अपेक्षित ऐसे कोई दस्तावेज विनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जो इस प्रकार परिदत्त प्रति से संलग्न किए जाने हैं या ऐसे प्रास्पेक्टस में सम्मिलित विवरणी में निर्दिष्ट किए जाने हैं, जो इस दस्तावेजों को विनिर्दिष्ट करें ।

(7) रजिस्ट्रार किसी प्रास्पेक्टस को तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं करेगा, जब तक उसके रजिस्ट्रीकरण के संबंध में इस धारा की अपेक्षाओं का पालन न किया गया हो और प्रास्पेक्टस के साथ, प्रास्पेक्टस में नामित सभी व्यक्तियों की लिखित में सहमति न संलग्न हो ।

* * * * * *

प्रतिभूतियों की लोक प्रस्थापना का भौतिक रूप में न होना ।

29. (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी,--

* * * * * *

(ख) ऐसे अन्य वर्ग या वर्गों की पब्लिक कंपनियां, जो विहित की जाएं,

निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के उपबंधों और उसके तद्धीन बनाए गए विनियमों का

अनुपालन करके केवल अभौतिक रूप में प्रतिभूतियां जारी करेंगी ।

* * * * *

35. (1) * * * * *

प्रास्पेक्टस में मिथ्या कथनों के लिए सिविल दायित्व ।

(2) कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दायी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर देता है कि–

* * * * * *

"(ग) प्रत्येक ऐसे मिथ्या कथन, जिसका किसी विशेषज्ञ द्वारा किया जाना तात्पर्यित है या ऐसे अंतर्विष्ट है जो किसी विशेषज्ञ की किसी रिपोर्ट या मूल्यांकन की प्रति होना या उससे उद्धरण होना तात्पर्यित है, के बारे में यह कि यह कथन का सही और ऋजु प्रतिनिधित्व था या रिपोर्ट या मूल्यांकन की सही प्रति या उसका सही और ऋजु उद्धरण था ; और उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार था और प्रोस्पेक्टस के जारी किए जाने के समय तक उसका यह विश्वास था कि कथन करने वाला व्यक्ति उसे करने के लिए सक्षम था और यह कि उक्त व्यक्ति ने प्रोस्पेक्टस जारी करने के लिए धारा 26 की उपधारा (5) द्वारा अपेक्षित सहमति दे दी थी और उस सहमति को रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रोस्पेक्टस की प्रति परिदत्त करने से पहले या उसके अधीन आबंटन के पहले प्रतिवादी की जानकारी में वापस नहीं लिया था ।

* * * * * *

53. (1) * * * * *

बट्टे पर शेयरों के निर्गमन पर प्रतिषेध ।

(3) जहां कोई कंपनी इस धारा के उपबंधों का उल्लंधन करती है, वहां कंपनी जुर्माने से, जो एक लाख रूपए से अन्यून का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रूपए से अन्यून का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रूपए तक का हो सकेगा या दोनो से, दंडनीय होगा ।

* * * * * *

64. (1) * * * * *

शेयर पूंजी के परिवर्तन के लिए रजिस्ट्रार को सूचना का दिया जाना ।

(2) यदि कोई कंपनी और कंपनी का कोई अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लधंन करता है, तो वह जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रूपए, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, या पांच लाख रूपए, इनमें से जो भी कम हो, तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * * *

अध्याय 6

भारों का रजिस्ट्रीकरण

भार आदि रजिस्टर करने का कर्तव्य ।

77. (1) भारत के भीतर या उसके बाहर अपनी सम्पति या आस्तियों या अपने उपक्रमों में से किसी उपक्रम पर, चाहे मूर्त हों या अन्यथा और जो भारत में या उसके

बाहर स्थित हैं ,भार सृजित करने वाली प्रत्येक कंपनी का यह कर्तव्य होगा कि वह, ऐसा भार सृजित करने वाली लिखतों, यदि कोई हों, कंपनी और भारसाधारक द्वारा हस्ताक्षरित भार की विशिष्टियां ऐसे प्ररूप में, ऐसी फीसों के संदाय पर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके सृजन के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करे :

परंतु रजिस्ट्रार, कंपनी द्वारा आवेदन किए जाने पर, ऐसी अतिरिक्त फीसों के संदाय पर, जो विहित की जाए, ऐसे सृजन के तीन सौ दिन की अवधि के भीतर ऐसा रजिस्ट्रीकरण किए जाने को अनुज्ञात कर सकेगा :

परंतु यह भी कि यदि ऐसे सृजन के तीन सौ दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया है तो कंपनी, धारा 87 के अनुसार समय के विस्तार की ईप्सा करेगी :

* * * * * *

उल्लघन के लिए दंड ।

86. यदि कोई कंपनी इस अध्याय के किसी उपबंध का उल्लंधन करेगी तो कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रूपए से कम का न होगा, किन्तु जो दस लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रम करता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रूपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा भारों के रजिस्टर का परिशोधन ।

87. (1) केन्द्रीय सरकार का, निम्नलिखित समाधान होने पर कि—

(i) (क) कंपनी द्वारा सृजित किसी भार के विवरण की या किसी ऐसे भार की जिसके अधीन ऐसी कोई सम्पति है, जो कंपनी द्वारा अर्जित की गई है या ऐसे भार के उपांतरण की विशिष्टियां फाइल करने का लोप : या

(ख) इस अध्याय के अधीन अपेक्षित समय के भीतर किसी भार को रजिस्ट्रीकृत करने का लोप या भार के भुंगतान या चुकाए जाने की प्रज्ञापना इस अध्याय के अधीन अपेक्षित समय के भीतर रजिस्ट्रार को देने का लोप ; या

(ग) धारा 82 या धारा 83 के अनुसरण में किसी ऐसे भार या उपांतरण के संबंध में या चुकाए जाने के ज्ञापन के संबंध में या की गई अन्य प्रविष्टि के संबंध में किसी विशिष्टि का लोप या अयथार्थ कथन,

संयोगवश किसी अनवधानता या किसी अन्य पर्याप्त् हेतुक कारण हो गया था या वह इस प्रकार का नहीं है कि उससे कंपनी के लेनदारों या शेयरधारकों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ; या

(ii) किन्हीं अन्य आधारों पर, अनुतोष देना न्यायोचित और साम्यापूर्ण है,

तो वह कंपनी या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो केन्द्रीय सरकार को न्यायसंगत और समीचीन प्रतीत हों, यह निदेश दे सकेगी कि भार की विशिष्टियों को फाइल करने के लिए या उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए या भुगतान या चुकाए जाने की प्रज्ञापना देने के लिए समय बढाया जाए या जैसा अपेक्षित हो, उस लोप या अयथार्थ कथन को परिशोधित किया जाएं ।

(2) जहां, केन्द्रीय सरकार किसी भार के रजिस्ट्रीकरण के लिए समय बढ़ाती है, वहां भार के, वास्तव में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पूर्व संपृक्त संपत्ति के संबंध में अर्जित किन्हीं अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव उस आदेश से नहीं पड़ेगा ।

* * * * * *

90. (1) * * * * *

किसी कंपनी में महत्वपूर्ण फायदाग्राही स्वामियों का रजिस्टर ।

(9) अधिकरण के आदेश से व्यथित कंपनी या व्यक्ति उपधारा (8) के अधीन निर्बंधनों को शिथिल करने या हटाने के लिए कोई आवेदन कर सकेगा ।

(10) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित घोषणा करने में असफल रहता है तो वह जुर्माने से जो एक लाख रुपए से अन्यून होगा किंतु जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा और जहां ऐसी असफलता जारी रहती है तो और जुर्माने से, जो ऐसी असफलता के जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(11) यदि कोई कंपनी, जिससे उपधारा (2) के अधीन रजिस्टर रखे जाने और उपधारा (4) के अधीन सूचना फाइल करने की अपेक्षा है, ऐसा करने में असफल रहती है या उसमें यथा उपबंधित निरीक्षण से इंकार करती है तो कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास लाख रुपए तक हो सकेगा और जहां ऐसी असफलता जारी रहती है तो और जुर्माने से, जो ऐसी असफलता के जारी रहने के दौरान पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा

* * * * * *

92. (1) * * * * *

वार्षिक विवरणी ।

(5) यदि कोई कंपनी धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व, अतिरिक्त फीस के साथ उपधारा (4) के अधीन अपनी वार्षिक विवरणी फाइल करने में असफल रहती है तो कम्पनी ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रूप्ए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रूपए, का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कम्पनी का प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रम करता है, छह मास के कारावास से, या जुर्माने से, जो पचास हजार रूपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

* * * * * *

102. (1) * * * * *

सूचना के साथ संलग्न किया जाने वाला विवरण ।

(5) यदि इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया गया है, तो प्रत्येक ऐसा संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक या अन्य प्रमुख प्रबन्धकार कार्मिक जो व्यतिक्रमी है, ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रूपए का या संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक या अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके किन्हीं नातेदारों को प्रोद्भूत होने वाले फायदे की रकम के पांच गुना तक का हो सकेगा, इनमें से जो भी अधिक हो, दंडनीय होगा ।

* * * * * *

परोक्षी ।

105. (1) * * * * *

(3) यदि उपधारा (2) के अनुपालन में कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जिसने व्यतिक्रम किया है ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * * *

संकल्पों और करारों का फाइल किया जाना ।

117. (1) * * * * *

(2) यदि कोई कंपनी धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व अतिरिक्त फीस के साथ, उपधारा (1) के अधीन संकल्प या करार फाइल करने में असफल रहेगी, तो कम्पनी ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रूपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी । किसी कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जिसके अन्तर्गत कम्पनी का समापक भी है, यदि कोई हो, जो व्यतिक्रमी है, ऐसे जुमाने से, जो एक लाख रूपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

* * * * * *

साधारण वार्षिक अधिवेशन पर रिपोर्ट ।

121. (1) * * * * *

(3) यदि कंपनी अतिरिक्त फीस के साथ धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट फाइल करने में असफल रहेगी तो कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * * *

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन ।

132. (1) * * * * *

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को,--

* * * * * *

(ग) जहां वृत्तिक या अन्य कदाचार साबित हो जाता है, वहां—

* * * * * *

(आ) सदस्य या फर्म को चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के सदस्य के रूप में व्यवसाय करने में अपने लगाने से, छह मास की न्यूनतम अवधि के लिए या दस वर्ष अनधिक की ऐसी उच्चतर अवधि के लिए जो राष्ट्रीय वत्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित की जाए, विवर्जित करने संबंधी आदेश करने की शक्ति होगी । 1949 का 38

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "वृत्तिक या अन्य कदाचार" पद का

1949 का 38

वही अर्थ होगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22 में उसका है ।

* * * * * *

135. (1) * * * * *

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व ।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ठीक तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कंपनी के औसत शुद्ध लाभों का कम से कम दो प्रतिशत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में खर्च करती है :

परन्तु कंपनी अपने आस-पास के ऐसे स्थानीय क्षेत्र और क्षेत्रों को, जहां वह क्रियाशील है, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों के लिए चिह्नहित रकम को खर्च करने में अधिमान देगी :

परन्तु यह और कि यदि कंपनी ऐसी रकम खर्च करने में असफल रहती है तो बोर्ड धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ण) के अधीन बनाई गई अपनी रिपोर्ट में, रकम खर्च न करने के कारणों को विनिर्दिष्ट करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "औसत शुद्ध लाभ" की संगणना धारा 198 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी ।

* * * * * *

137. (1) * * * * *

रजिस्ट्रार को फाइल किए जाने वाले वित्तीय विवरणों की प्रति ।

(3) यदि कोई कंपनी, धारा 403 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व, यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन वित्तीय विवरण की प्रति फाइल करने में असफल रहती है तो कंपनी, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता बनी रहती है, एक हजार रूपए के, किंतु जो दस लाख रूपए से अधिक नहीं होगा, जुर्माने से दंडनीय होगी और कंपनी का प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी यदि कोई हो और प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी की अनुपस्थिति में, ऐसा कोई अन्य निदेशक, जो बोर्ड द्वारा इस धारा के उपबंधों के अनुपालन के उत्तरदायित्व से प्रभारित किया गया है, और ऐसे किसी निदेशक की अनुपस्थिति में, कंपनी के सभी निदेशक, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रूपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रूपए तक का हो सकेगा या दोनो से, दंडनीय होंगे ।

* * * * * *

140. (1) * * * * *

संपरीक्षक का हटाया जाना, त्यागपत्र और विशेष सूचना का दिया जाना ।

(3) यदि संपरीक्षक उपधारा (2) का अनुपालन नहीं करता है तो वह जुर्माने से, जो पचास हजार रूपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * * *

कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को निदेशक पहचान संख्यांक सूचित किया जाना ।

157. (1) * * * * *

(2) यदि कोई कंपनी अतिरिक्त फीस के साथ धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उपधारा (1) के अधीन निदेशक पहचान संख्यांक देने में असफल रहेगी तो कंपनी ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रूपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी जो व्यतिक्रमी है, ऐसे जुमाने से, जो पच्चीस हजार रूपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा ।

* * * * * *

उल्लघंन के लिए दंड ।

159. यदि किसी कंपनी का कोई व्यष्टि या निदेशक धारा 152 धारा 155 और धारा 156 के किसी उपबंध का उल्लघंन करेगा तो कंपनी का ऐसा व्यष्टि या निदेशक कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा और जहां उल्लधंन जारी रहेगा वहां ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लघंन जारी रहेगा, पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * * *

निदेशक पदों की संख्या ।

165. (1) * * * * *

(6) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में निदेशक के रूप में कोई नियुक्ति स्वीकार करेगा, तो वह ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रूपए से कम का न हीं होगा, किंतु प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहेगा, पच्चीस हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * * *

उपक्रम, संपत्ति या शेयरों के अंतरण के संबंध में पद की हानि, आदि के लिए निदेशक को संदाय ।

191. (1) * * * * *

(5) यदि कंपनी का कोई निदेशक इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो निदेशक को जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रूपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * * *

समग्र अधिकतम प्रबंधकीय पारिश्रमिक और लाभों के अभाव में या अपर्याप्तता की दशा में प्रबंधकीय पारिश्रमिक ।

197. (1) * * * * *

(7) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए किंतु इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई स्वतंत्र निदेशक किसी स्टाक विकल्प का हकदार नहीं होगा और उपधारा (5) के अधीन उपबंधित फीस के रूप में पारिश्रमिक, बोर्ड की अथवा अन्य बैठकों में भाग लेने के लिए व्ययों की प्रतिपूर्ति और लाभ संबंधी कमीशन, जैसा सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाए, प्राप्त कर सकेगा ।

* * * * * *

(15) यदि कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रूपए से कम का नहीं होगा किंतु पांच लाख रूपए तक का हो

सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * * *

203. (1) * * * * *

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति ।

(5) यदि कोई कंपनी इस धारा के उपबंधों का उल्लंधन करेगी तो ऐसी कम्पनी ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगी जो एक लाख रूपए से कम का नहीं होगा किंतु पांच लाख रूपए तक का हो सकेगा और प्रत्येक निदेशक तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, जो व्यतिक्रम करता है ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रूप्ए तक का हो सेकगा और जहां व्यतिक्रम चालू रहता है, वहां प्रत्येक दिन के लिए, जिसके संबंध में व्यतिक्रम चालू रहता है, अतिरिक्त जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * * *

212. (1) * * * * *

गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा कंपनी के कार्यकलापो का अन्वेषण ।

(8) यदि साधारण या विशेष आदेश दवारा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय का निदेशक, अपर निदेशक या सहायक निदेशक अपने कब्जे में सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण (ऐसे विश्वास के कारण लिखित में अभिलिखत किए जाएं) रखता है कि कोई व्यक्ति उपधारा (6) में निर्दिष्ट धाराओं के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषी रहा है तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा और ऐसी गिफ्तारी के आधारों को, यथाशीघ्र, उसे सूचित करेगा ।

(9) उपधारा (8) के अधीन ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के ठीक पश्चात् गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय के निदेशक, अपर निदेशक या सहायक निदेशक उस उपधारा में निर्दिष्ट अपने कब्जे की सामग्री के साथ आदेश की एक प्रति गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को, मुहरबन्द लिफाफे में ऐसी रीति में अग्रेषित करेंगे जो विहित की जाएं और गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय ऐसे आदेश और सामग्री को ऐसी अवधि के लिए रखेगा, जो विहित की जाए ।

(10) उपधारा (8) के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को चौबीस घंटे के भीतर अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा :

परन्तु गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा तक के लिए आवश्यक समय चौबीस घंटों की अवधि से अपवर्जित रहेगा ।

* * * * * *

238. (1) * * * * *

ऐसी स्कीमों की प्रस्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण जिनमें शेयरों का अंतरण अंतर्वलित है ।

(3) ऐसा निदेशक, जो ऐसा परिपत्र जारी करेगा, जो उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है या रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है, जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रूपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * * *

कतिपय करारों के समापन या उपांतरणों का परिणाम ।

243. (1) * * * * *

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो जानबूझकर उपधारा (1) के खंड (ख) के उल्लंघन में किसी कंपनी के प्रबंध निदेशक या अन्य निदेशक या प्रबंधक के रूप में कार्य करेगा और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अन्य निदेशक, जो जानबूझकर ऐसे उल्लंघन का पक्षकार होगा, कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

* * * * * *

अध्याय 18

कंपनियों के रजिस्टर से कंपनियों के नामों का हटाया जाना

कंपनियों के रजिस्टर से किसी कंपनी का नाम हटाने की रजिस्ट्रार की शक्ति ।

248. (1) जहां रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि—

* * * * * *

(ग) कंपनी ठीक पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्ष की अवधि से कोई कारबार या संक्रिया नहीं कर रही है और उसने धारा 455 के अधीन निष्क्रिय कंपनी की हैसियत अभिप्राप्त करने के लिए ऐसी अवधि के भीतर कोई आवेदन नहीं किया है,

वहां वह कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाने के अपने आशय की सूचना कंपनी और कंपनी के सभी निदेशकों को, सूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियों के साथ अपने अभ्यावेदन भेजने का उनसे अनुरोध करते हुए भेजेगा ।

* * * * * *

परिसमापन के लिए याचिका ।

272. (1) * * * * *

(3) रजिस्ट्रार धारा 271 के अधान परिसमापन के लिए कोई, सिवाय उसके खंड (क) या खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट किन्हीं आधारों के याचिका प्रस्तुक करने के लिए हकदार होगा :

परन्तु रजिस्ट्रार याचिका प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा :

परन्तु यह भी कि केन्द्रीय सरकार तब तक अपनी मंजूरी नहीं देगी जब तक कि कंपनी को अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

* * * * * *

इलैक्ट्रानिक रूप में आवेदन, दस्तावेज, निरीक्षण, आदि फाइल किए जाने से संबंधित उपबंध ।

398. (1) * * * * *

(च) रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में बदलाव, ज्ञापन या अनुच्छेदों, प्रास्पेक्टस के परिवर्तन को रजिस्टर करेगा, निगमन का प्रमाणपत्र जारी करेगा, ऐसे दस्तावेज रजिस्टर करेगा, ऐसे प्रमाणपत्र जारी करेगा, सूचना अभिलिखित करेगा, ऐसी संसूचना, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत या जारी या अभिलिखित या प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित हो या इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कर्तव्यों का पालन करेगा या कृत्यों का निर्वहन करेगा या शक्तियों का प्रयोग करेगा या ऐसा कोई

कार्य करेगा, जिसका इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप में ऐसी रीति से जो विहित की जाए, पालन या निर्वहन या प्रयोग किए जाने के लिए निदेश किया गया है ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा के अधीन बनाए गए नियम, जुर्मानों या किसी अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपन या फीस की मांग या संदाय या इस अधिनियम के उपबंध के किसी उल्लंघन या उनके लिए दंड से संबंधित नहीं होंगे ।

* * * * * *

कतिपय अपराधों का शमन ।

441. (1) * * * * *

(ख) जहां ऐसे जुर्माने की अधिकतम रकम जो ऐसे अपराध के लिए अधिरोपित की जा सकेगी पांच लाख रूपए से अधिक नहीं है, प्रादेशिक निदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा,

यथास्थिति, कंपनी या अधिकारी द्वारा, केन्द्रीय सरकार को ऐसी रकम का जो, यथास्थिति, अधिकरण या प्रादेशिक निदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, संदाय करने पर या जमा करने पर :

परन्तु इस प्रकार विनिर्दिष्ट रकम, किसी भी दशा में जुर्माने की ऐसी अधिकतम रकम से जो ऐसे शमन किए गए अपराध के लिए अधिरोपित की जाए, अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अअधीन किसी अपराध के शमन करने के लिए संदत्त या जमा किए जाने के लिए अपेक्षित रकम विनिर्दिष्ट करते समय, रकम यदि कोई हो, जो धारा 403 की उपधारा (2) के अधीन अतिरिक्त फीस के रूप में संदत्त की गई थी, हिसाब में ली जाएगी :

परन्तु यह भी कि इस उपधारा के अधीन आने वाला कोई अपराध किसी कंपनी या उसके अधिकारी द्वारा किया गया है तो उसका शमन नहीं किया जाएगा यदि ऐसी कंपनी के विरुद्ध इस अधिनयम के अधीन अन्वेषण आरंभ किया गया या लंबित है ।

* * * * * *

(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) ऐसा कोई अपराध, जो इस अधिनियम के अधीन कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है अपराधों के शमन के लिए उक्त अधिनियम में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण में, विशेष न्यायालय की अनुज्ञा से शमनीय होगा ;

(ख) ऐसा कोई अपराध जो इस अधिनियम के अधीन केवल कारावास से या कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय है, शमनीय नहीं होगा ।

* * * * * *

एक व्यक्ति कंपनी या लघु कंपनियों के लिए कम शास्ति ।

446ख. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई एक व्यक्ति कंपनी या लघु कंपनी, धारा 92 की उपधारा (5), धारा 117 की उपधारा (2) के खंड (ग), धारा 137 की उपधारा (3) के उपबंधों का पालन करने में असफल रहेगी, तो

ऐसी कंपनी और ऐसी कंपनी का व्यतिक्रमी अधिकारी, यथास्थिति, ऐसे जुर्माने या कारावास से या जुर्माने और कारावास से दंडनीय होगा, जो ऐसी धाराओं में विनिर्दिष्ट न्यूनतम या अधिकतम, यथास्थिति, जुर्माने या कारावास या जुर्माने और कारावास के, यथास्थिति, आधे जुर्माने या कारावास या जुर्माने और कारावास से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा ।

* * * * * *

अध्याय 29

प्रकीर्ण

कपट के लिए दंड ।

447. (1) * * * * *

परंतु यह और कि जहां कपट में दस लाख रुपए से कम की रकम या कंपनी के आवर्त का एक प्रतिशत्, इसमें से जो भी कम हो, अंतर्वलित है और कोई लोक हित अंतर्वलित नहीं है, वहां ऐसे कपट का दोषी व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो बीस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

* * * * * *

शास्तियों का न्यायनिर्णयन ।

454. (1) * * * * *

(3) न्यायनिर्णायक अधिकारी, आदेश द्वारा कंपनी और ऐसे अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो व्यतिक्रमी है, और उसमें अधिनियम के सुसंगत उपबंध के अधीन किसी अननुपालन या व्यतिक्रम का कथन करेगा ।

(4) न्यायनिर्णायक अधिकारी, कोई शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व ऐसी कंपनी और अधिकारी को जो व्यतिक्रमी है, सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

* * * * * *

(8) (i) जहां कंपनी न्यायनिर्णायक अधिकारी या प्रादेशिक निदेशक द्वारा अधिरोपित शास्ति का संदाय, आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर नहीं करती है वहां कंपनी जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रूपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी ।

(ii) जहां किसी कंपनी का कोई अधिकारी जो व्यतिक्रम करता है, आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर शास्ति का संदाय नहीं करता है, वहां ऐसा अधिकारी कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रूपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

* * * * * *

MGIPMRND—1883LS(CRC)—22-7-2019.